

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

एफ एस प्रकरण संख्या :- 06/2024

जीसीएमएस नम्बर :-2024/31

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

मदनगोपाल विश्नोई पुत्र बाबुलाल विश्नोई, फर्म मैसर्स भोलेनाथ मिल्क प्रोडक्ट्स, श्रीराम पेट्रोल पम्प के पास, खाबड़ा रोड़, गांव प्रतापनगर, ग्राम पंचायत ओसियां, तहसील ओसियां, जोधपुर। निवासी गांव भीमसागर तहसील ओसिया, जिला जोधपुर। हाल निवासी गांव कठवाड़ा, सिंगरवा रोड़, अहमदाबाद, गुजरात।

—:आदेश :-

दिनांक :- 31.05.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 11.11.2023 को रेंवत सिंह बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैकिंग फर्म मैसर्स भोलेनाथ मिल्क प्रोडक्ट्स, श्रीराम पेट्रोल पम्प के पास, खाबड़ा रोड़, गांव प्रतापनगर, ग्राम पंचायत ओसियां, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया। इस समय पनीर निर्माण इकाई पर एफबीओ/मालिक की हैसियत से मदनगोपाल विश्नोई उपस्थित मिले तथा आम जनता को उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ दूध व पनीर बेचने हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। उक्त खाद्य पदार्थ मालिक से वर्ष 2023 का खाद्य अनुज्ञा-पत्र मांगा, इन्होंने एफएसएसआई रजि0 12223032000897 एवं स्वयं का आधार कार्ड पेश किया। प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पनीर निर्माण इकाई में मिक्सड दूध जो पनीर निर्माण हेतु प्लास्टिक के पांच ड्रमों एवं डम्प टैंक में लगभग 1400 लीटर आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच एफ एस एस एक्ट के तहत जांच कराने के लिए रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को प्रपत्र एवं 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र पर मेरे, विक्रेता/मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं। रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को रुपये 54/- नगद देकर 2 किलोग्राम वास्ते नमूनीकरण हेतु खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर मेरे, मालिक व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंगन है।

मालिक व गवाह के सामने उक्त दूध के ऊपर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम-3938 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। मैने, गवाह व मालिक ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। इन चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम-3938 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर के नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते



हुए नीचे पेदे तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग-अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार-चार सील चपड़ी की लगाई एक नमूने के सिर पर एक पेदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व मालिक के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रॉस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया। मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व मालिक ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम-3938 सील चपड़ी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व मालिक के सामने मौके पर ही की, असल मौका फर्द सलंगन है।

कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एवं जिस सील से नमूना सिल्ड किया गया उसका सील इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनों को पुनः आउटर कवर में लपेट कर मोटे धागे से बांधकर नियमानुसार सिल चपड़ी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में रखकर सिल चपड़ी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा स्वयं के द्वारा दिनांक 12.11.2023 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग-अलग असल सलंगन है।

एम-3938 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 11.11.2023 एवं चतुर्थ भाग दिनांक 11.11.2023 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग-अलग मूल सलंगन हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 1570-1571 दिनांक 01.12.2023 के साथ संलग्न खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर की मूल जांच रिपोर्ट एल. एस./3044 /एक्ट/2023/3085 दिनांक 24.11.2023 मदनगोपाल विश्नोई पुत्र बाबुलाल विश्नोई को प्रेषित करते हुए एक मूल प्रति मुझे प्राप्त हुई, जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ दूध का नमूना Milk Fat के निर्धारित मानक minimum 4.5% के स्थान पर 0.8% एवं Milk solids not fat. के निर्धारित मानक minimum 8.5% के स्थान पर 7.12% होने के कारण अमानक स्तर (SubStandard) होना पाया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को नोटिस विधिवत् तामिल हुआ। अप्रार्थी को जवाब व बहस हेतु अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी वह न्यायालय में उपस्थित हुए। अप्रार्थी का जवाब व बहस का अवसर बन्द किया जाकर पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 31.05.2024 को रखी गई।

प्रार्थी ने बहस में बतलाया कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से पनीर का सैम्पल लिया गया जो अमानक स्तर (Sub Standard) होना पाया गया जो एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा

(2) (ii) का उल्लंघन किया जो धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में अप्रार्थी पर अधिकतम से अधिकतम जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने प्रकरण में प्रार्थी विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया तथा प्रार्थी की बहस पर मनन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी की मैसर्स फर्म मैसर्स भोलेनाथ मिल्क प्रोडक्ट्स, श्रीराम पेट्रोल पम्प के पास, खाबड़ा रोड़, गांव प्रतापनगर, ग्राम पंचायत ओसियां, तहसील ओसियां, जोधपुर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच हेतु पनीर का सैम्पल लिया गया। उक्त सैम्पल की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub Standard) होना पाया गया। जो एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन किया जो धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

अप्रार्थी मदनगोपाल विश्नोई पुत्र बाबुलाल विश्नोई शास्ती रूपये 10,000/- अक्षरे रूपये दस हजार रूपये की आरोपित की जाती है। अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर-अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 31.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

क्रमांक: कोर्ट/एडीएम/जोधपुर(ग्रामीण)/2024/

दिनांक :-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. मदनगोपाल विश्नोई पुत्र बाबुलाल विश्नोई, फर्म मैसर्स भोलेनाथ मिल्क प्रोडक्ट्स, श्रीराम पेट्रोल पम्प के पास, खाबड़ा रोड़, गांव प्रतापनगर, ग्राम पंचायत ओसियां, तहसील ओसियां, जोधपुर। निवासी गांव भीमसागर तहसील ओसिया, जिला जोधपुर। हाल निवासी गांव कठवाड़ा, सिंगरवा रोड़, अहमदाबाद, गुजरात।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)